न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

अर्जेन्ट वाद सं0 –13/2023

कुतबुदीन अंसारी बनाम जयमसीह मिंज वगैरह

आदेश

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

12/5/2023 अभिलेख उपस्थापित।

यह वाद अंचल अधिकारी, भण्डरिया के पत्रांक 71 दिनांक 10.02.2023 के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रकिया प्रारम्भ किया गया है। भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम	खाता	प्लॉट	रकबा	चौहदी			
				उ0	द0	पु0	प0
सरईडीह	पुराना– 38 नया– 119	पुराना– 456 नया– 1147	1.42 ए0	हाल सर्वे रैयत का नाम	अनाबाद बिहार सरकार		

प्रथम पक्ष का कहना है कि वर्णित भूमि पूर्व में हरिहर दुसाध पिता– चुल्हाई दुसाध ने भूतपूर्व जमींदार द्वारा 1938 में एक हुकुमनामा पटटा से प्राप्त किया है तथा भूमि पर दखल काबिज हुए एवं जोत–कोड़ करना प्रारम्भ कर भूमि को अपना उपयोग में करते आ रहे है। जमींदारी उन्मूलन के उपरांत मांग पंजी रजिस्टर 2 में रैयत के रूप में हरिहर दुसाध के नामें इस भूमि का मांग पंजी 2 के पृष्ट सं0– 67/2 पर मांग कायम हुआ है। मालगुजारी रसीद अदा कर हरिहर दुसाध रसीद प्राप्त करते रहे एवं जीवन पर्यत्न इस भूमि पर दखल काबिज रहे। हरिहर दुसाध के मृत्यु के बाद इनके तीन पुत्र 1. तुलसी पासवान 2. छठु पासवान 3. लखन पासवान भूमि पर दखल कब्जे में आये। 1. तुलसी पासवान के एक पुत्र शशि पासवान हुए जो अपने पिता के स्वर्गवास के उपरांत भूमि पर दखल काबिज हुए। प्रथम पक्ष के तीनों सदस्य 1. कुतबुदीन अंसारी 2. कुदरत अंसारी दोनों पिता– स्व0 गफुर अंसारी एवं प्रथम पक्ष क0स0– 02 मुर्तुजा अंसारी पिता– स्व0 कासिम अंसारी ने मांगधारी हरिहर दुसाध के पुत्र लखन पासवान एवं दोनों पिता– 1. शशि पासवान पिता– स्व0 तुलसी पासवान एवं 2. सुनील पासवान पिता– स्व0 छठु पासवान से निबंधित केवाला सं0– 1705 दिनांक 24.02.2011 द्वारा ग्राम– सरईडीह के खाता सं0– 38/101 प्लॉअ सं0– 456 में रकबा– 1.42 ए0 भूमि कय किया गया है। यह भूमि अनाबाद बिहार सरकार के

खाता सं0– 39 के अन्तर्गत प्लॉट सं0– 1147 रकबा– 1.72 ए0 हो गया है। जिसके अभ्युक्ति कालम 8 दखल कब्जेदार 1. छठु राम पिता– स्व0 हरिहर राम दर्ज है। कि प्रथम पक्ष जिस मांगधारी के पुत्र व पौत्र के द्वारा यह भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से क्रय किया गया है। हरिहर राम के ही पुत्र व पौत्र है तथा स्वयं अवैध दखल कब्जा कर रैयत स्व0 छठु राम के पुत्र सुनील पासवान ने भी निबंधित केवाला के माध्यम से वाद में वर्णित भूमि प्रथम पक्ष को बिकी किया है। अंचल द्वारा इनके दखल कब्जे का दाखिल खारीज प्रथम पक्षों के नामें किया है। मांग स्थापित कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया है। अतः अनुरोध करते है कि वाद की कार्यवाही में जारी निषेधाज्ञा प्रथम पक्ष से हटाई जाय। साथ ही वाद में जारी निषेधाज्ञा द्वितीय पक्ष के विरूद्व अधिकांकित करने की कृपा की जाय।

द्वितीय पक्षकार का कहना है कि सरईडीह के पुराना खाता सं0– 38 पुराना प्लॉट सं0– 456 रकबा– 1.90 ए0 भूमि गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। गॉव के भूतपूर्व मध्यवर्ती जमींदार गिरवर प्रसाद नारायण सिंह द्वारा द्वितीय पक्षकार गण के पूर्वज दानियल उरॉव के नाम से सलामी देकर हमेशा के लिए बन्दोबस्त किया गया। दानियत उरॉव बन्दोबस्ती के बाद उक्त भूमि के हक दखल कब्जे में रहकर मालगुजारी देकर जमींदार रसीद कटाते रहें तथा उक्त भूमि पर हक दखल में रहकर उसका जोत–कोड़ कर उसका उपयोग कर पूरे परिवार का भरण–पोषण करते रहें। द्वितीय पक्षकार गण की मौरूषी भूमि है। द्वितीय पक्षकार गण अनुसूचित जन जाति के सदस्य है फलतः इनकी भूमि बिना श्रीमान् उपायुक्त महोदय के अनुमति के बिना छोटानागपुर कास्ताकारी अधिनियम की धारा 36 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। प्रथम पक्षकार के पास उक्त भूमि का कोई भी कागजात नहीं है। उक्त भूमि को लुटने का प्रयास किया जा रहा है। अनुरोध करते है कि खारीज करने योग्य है। धारा 144 द0प्र0स0 की कार्यवाही की समयावधि समाप्त हो गई इसलिए इस वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

12.5.23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

रंका।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 11:42:51 +05:30
Location: 192.168.223.152